

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग-खंडवा। जिला-खंडवा

प्रकरण क्रमांक 33/अ-2/2014-2015

नौजा - ग्राम दोंदवाड़ा। तहसील-खंडवा।

1- श्री कमलेश सेठी पिता माणकचंद सेठी,

2- श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी
निवासी संतोषनगर कालोनी, खंडवा तहसील एवं जिला-खंडवा।

..... आवेदक।

॥ आदेश ॥

(पारित दिनांक 31-03-2015)

(म०प्र०भू०रा०संहिता-1959 की धारा 172 सहपटित धारा-59 के अन्तर्गत पारित) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक श्री कमलेश पिता माणकचंद सेठी अन्य-एक निवासी, खंडवा द्वारा हस्ताक्षरित एक आवेदन पत्र अधिवक्ता श्री अरुण गुप्ता के माध्यम से, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 172 (1) के तहत नियत प्ररूप में पेश कर ग्राम दोंदवाड़ा तहसील-खंडवा स्थित मालकी एवं कब्जे की भूमि खसरा नं० 878 रकबा 1.290 हैक्टर का व्यपर्तन “औद्योगिक प्रयोजनार्थ (फुड-सीड्स प्रोसेसिंग) हेतु चाहा गया है। आवेदन पत्र के साथ भूमि की रजिस्ट्री छाया प्रति, भूमि का नक्शा, खसरा, बी-1, आदि दस्तावेज संलग्न पेश किये गये हैं। साथ ही लेख किया कि म०प्र०राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम-2003. संशोधन दिनांक 3 मई-2003 अनुसार म०प्र०भू०रा०संहिता की धारा 172 का संशोधन किया है, जिसके अनुसार “यदि किसी ऐसी भूमि का, जो कृषि प्रयोजन के लिये निर्धारित की गई है, भूमिस्वामी अपनी भूमि या उसके किसी भाग को उधोग के प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित करना चाहता है और ऐसी भूमि विकास योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में स्थित हो तो भूमिस्वामी द्वारा अपने आशय की उपर्युक्त अधिकारी को दी गई लिखित जानकारी पर्याप्त होगी” और ऐसे व्यपवर्तन के लिये कोई अनुज्ञा अपेक्षित नहीं है।

2- उक्त आवेदित कृषि पड़ती भूमि को भिन्न “औद्योगिक (फुड-सीड्स प्रोसेसिंग) प्रयोजनार्थ” हेतु व्यपवर्तन किये जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में इश्तहार जारी किया। नियत अवधि में कोई आपत्ति न्यायालय में प्राप्त नहीं हुई। अधीक्षक, भू-अभिलेख परि. एवं रेन्ट गणना बाबत जानकारी प्राप्त की गई।

3- मेरे द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम-2003 संशोधन दिनांक 3 मई-2003 धारा 172 में हुए संशोधन तथा प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 2-1/2013/सात/शा.6 दिनांक 25 जून-2014 में वर्णित नियम /प्रावधानों का अवलोकन किया, चूंकि आवेदक द्वारा न्यायालय में भूमि औद्योगिक प्रयोजन /प्रावधानों का अवलोकन किया, चूंकि आवेदक द्वारा न्यायालय में भूमि औद्योगिक प्रयोजन स्थित होकर खंडवा विकास योजना से भिन्न क्षेत्र में स्थित है तथा ग्राम दोंदवाड़ा की जनसंख्या 1500 है।

-2-

4- अधीक्षक, भू-अभिलेख परि./राजस्व निरीक्षक डाय. खंडवा द्वारा आवेदित भूमि ग्राम दोंदवाड़ा खसरा नं० 878 स्थल की जाँच की जाकर प्रतिवेदन, रेन्ट गणना प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार प०ह०न०-३८ ग्राम दोंदवाड़ा तहसील-खंडवा, की भूमि खसरा नं० 878 रकबा 1,290 हैक्टर भूरा० रुपये 1=३५ आवेदक श्री कमलेश पिता माणकचंद एवं श्रीमती आशा पति कमलेश सेठी निवासी खंडवा के नाम शासकीय अभिलेखों में संयुक्त रूप से भूमिस्वामी स्वत्व में हर्त है। आवेदक ने उक्त वर्णित संपूर्ण भूमि को कृषि पड़ती भिन्न प्रयोजन औद्योगिक फुड सीड़स प्रोसेसिंग प्रयोजन हेतु व्यपर्वतन चाहा है। आवेदित भूमि स्थल पर रिक्त है, भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। आवेदित भूमि ग्राम दोंदवाड़ा ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा विकास खंड, छैगांवमाखन की सीमा अन्तर्गत आती है। भूमि विशिष्ट ग्राम में स्थित नहीं है और ना ही खंडवा विकास योजना में शामिल है, भूमि खंडवा विकास योजना से भिन्न ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। आवेदित भूमि शासकीय अथवा पट्टे की भूमि नहीं है। भूमि में से विद्युत लाईन जा रही है। भूमि का व्यपर्वतन औद्योगिक फुड-सीड़स प्रोसेसिंग प्रयोजन हेतु किया जाता है तो किसी प्रकार का प्रदूषण अथवा न्यूसेंस नहीं होगा। प्रश्नाधीन आवेदित भूमि कुल रकबा 1,290 हैक्टर का वर्गफीट में क्षैत्रफल 138854 वर्गफीट (12900 वर्गमीटर) होता है।

आवेदित भूमि की चतुरसीमा निम्नानुसार है :-

पूर्व दिशा में	- शासकीय भूमि खसरा नं० 887
पश्चिम दिशा	- खसरा नं० 876 की भूमि
उत्तर दिशा में	- खसरा नं० 877/1-2-3 की भूमि
दक्षिण दिशा में	- खसरा नं० 879 की भूमि

प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल अधिसूचना दिनांक 10 जुलाई-2014 वर्णित अनुसूची अनुसार भूमि के उपयोग हेतु भूराजस्व के पुर्ननिर्धारण हेतु उर/प्रीमियम का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार ग्राम दोंदवाड़ा (ग्राम पंचायत उन्नीसीमा) तहसील-खंडवा हेतु कलेक्टर, खंडवा गाईड लाईन वर्ष 2014-15 अनुसार बाजार मूल्य रुपया 23,40,900=०० (तीस लाख चालीस हजार नौ सौ रुपया) प्रति हैक्टर के मान से निर्धारित है, इस मान से आवेदित भूमि कुल रकबा 1.290 हैक्टर (12900 वर्गमीटर/138854 वर्गफीट) का गाईड लाईन अनुसार बाजार मूल्य रुपया 30,19,761=०० (तीस लाख उन्नीस हजार सात सौ इक्सठ रुपया) निर्धारित होती है, इस राशि का 0.2 प्रतिशत औद्योगिक भू-परिवर्तित रेन्ट रुपया 6,040=०० वार्षिक, तथा इस राशि का 50 प्रतिशत पंचायत उपकर रुपया 3,020-०० होता है, तथा 1 प्रतिशत प्रीमियम राशि रुपया 30,197=०० राजस्व वर्ष 2014-2015 से निर्धारित कर कायम किया जाना तथा कृषि भू-राजस्व रुपया 1=३५ कम किया जाना प्रस्तावित किया है, जो एतद्वारा स्वीकृत किये जाते हैं।

5- प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि ग्राम दोंदवाड़ा तहसील-खंडवा, खसरा नं० 878 रकबा 1.290 हैक्टर भूरा० रुपये 1=३५ श्री कमलेश पिता माणकचंद एवं श्रीमती आशा पति कमलेश सेठी निवासी खंडवा के नाम शासकीय अभिलेखों में संयुक्त रूप से भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज है। भूमि को कृषि भिन्न प्रयोजन औद्योगिक फुड सीड़स प्रोसेसिंग प्रयोजन हेतु व्यपर्वतन किये जाने बाबत इश्तहार जारी होने पर, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।

अतएव उक्त विवेचना परिप्रेक्ष्य में ग्राम दोंदवाड़ा तहसील-खंडवा की भूमि खसरा नं 0 878 रकबा 1.290 हैक्टर भूमि का "औधोगिक फुल/सीड़स प्रोसेसिंग प्रयोजनार्थ" हेतु व्यपवर्तन किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं निर्धारण के तहत प्रदान की जाती है।

- 1- व्यपवर्तित भूमि (कुल रकबा 1.290 हैक्टर) क्षेत्रफल 12900 वर्गमीटर / 138854 वर्गफीट भूमि पर औधोगिक परिवर्तित रेन्ट रुपया 6,040=00 प्रतिवर्ष, पंचायत उपकर रुपया 3,020=00 प्रतिवर्ष तथा प्रीमियम रुपया 30,197=00 कायम किया जाता है। औधोगिक परिवर्तित रेन्ट राजस्व वर्ष 2014-2015 से देय होगा। कृषि भूमि 1=35 कम किया जाता है।
 - 2- व्यपवर्तित भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व स्थानीय संस्था, ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा से भवन निर्माण अनुमति, मानवित्र अनुमोदन, प्राप्त करना आवश्यक होगा। व्यपवर्तित भूमि का अन्य मद प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जावेगा तथा उघोग स्थापना का पंजीयन जिला उघोग केन्द्र, खंडवा में कराया जाना होगा।
 - 3- पर्यावरण की दृष्टि से किसी भी प्रकार के प्रदूषण हेतु (यदि आवश्यक हो तो) मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
 - 4- विघुत लाईन के नीचे अथवा विघुत लाईन से प्रभावित क्षेत्र में विकास/निर्माण के प्रतिबंधित होगा।
 - 5- भवन का निर्माण भूकंप अवरोधी तकनीकी से करना आवश्यक होगा। वर्षा/छत के पांची हार्डिस्टिंग प्रणाली की वैकल्पिक व्यवस्था म.प.भूमि विकास नियम 1984 के नियम 78 (4) दिये गये विकल्पों के अनुसार करना अनिवार्य होगा। भवन में निःशक्त व्यक्तियों के लिये वर्षा रहित आवागमन हेतु उचित प्रावधान (रेम्प इत्यादि) करना अनिवार्य होगा।
 - 6- स्थल पर विघमान वृक्षों को यथावत रखा जावें, जिन वृक्षों को काटना हो उसके नियमानुसार अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करना होगा। भूमि-भूखंड का उपविभाजन नहीं होगा।
 - 7- प्रस्तावित उपयोग से संबंधित समस्त सुरक्षा साधनों की स्वयं को व्यवस्था करना अतिरिक्त होगा। पार्किंग की व्यवस्था स्वयं की भूमि पर करना होगा। स्वयं की भूमि के अतिरिक्त आसपास के क्षेत्र या शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया जावेगा।
 - 8- भूमिस्वामित्व संबंधी वाद/विवाद होने की दशा में अथवा गलत जानकारी देने आदेश में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन की दशा में दी गई अनुज्ञा निरस्त मानी जावेगी।
- यह आदेश आज दिनांक 31-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं सील मुद्रा से जारी किया गया है।



(शाश्वत प्रमाण)
अनुमतिप्राप्ति अधिकारी,
अनुमति प्राप्ति अधिकारी,
अनुमति प्राप्ति अधिकारी